


## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत १.- श्रीमती- सहबतिया देवी पति- पाचु गंझू, २.- जगदीश गंझू पिता- स्व. सहदेव गंझू, ३.- श्रीमती सरिता देवी पति- राजेश गंझू, 4.- नकुल गंझू पिता- पाचु गंझू, 5.- देवनाथ गंझू पिता- पाचु गंझू, 6.- राज कुमार गंझू पिता- स्व. चोर्ता गंझू, 7.- जेठा गंझू पिता- स्व. चोर्ता गंझू, 8.- श्रीमती- विग्नी देवी पति- देवाली गंझू, 9.- सीटन गंझू पिता- स्व. करीमन गंझू। गांव- बिजैन, थाना- पिपरवार, थाना न.- 83 जिला- चतरा (झारखंड) के निवासी ने खाता संख्या-10, प्लॉट संख्या-3, 38, 48, 92, 93, 94, 95, 99, 103, 113, 159, 184, 313, 278, 283 के अंतर्गत गांव- बिजैन की रैयती भूमि के अधिग्रहण के तहत; गांव- सिदालू थाना न.- 84 खाता संख्या- 3, प्लॉट संख्या- 51, 98, 118, 126, 180, 182 कुल क्षेत्रफल: - 18 एकड़ (रैयती भूमि 18.00 एकड़)के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है।

अगर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा / आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti\\_empl\\_ind.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से दस दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व) सी.सी.एल, राँची एवं क्षेत्रीय महाप्रबंधक (पिपरवार क्षेत्र), सी.सी.एल, के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर दस दिनों के अंदर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

  
3.05.24